

भारत सरकार  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3376

बुधवार, 9 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जम्मू और कश्मीर में भूकंप की घटनाएं

†3376. श्री हसनैन मसूदी :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुई भूकंपीय घटनाओं के आलोक में संभावित क्षति को कम करने और समग्र मजबूती बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर जैसे उच्च भूकंपीय क्षेत्र में उन भवनों/मकानों ने का आकलन किया है जो भूकंपरोधी नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय की उन संवेदनशील इमारतों का आकलन करने की कोई योजना है जो भूकंपरोधी नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या मंत्रालय ने मजबूत सार्वजनिक भवनों की स्थापना के लिए कोई कदम उठाए हैं जो भूकंप के प्रभावों को झेल सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पृथ्वी विज्ञान मंत्री  
(श्री किरिन रिजिजू)

(क) से (घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष कार्य नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ऐसे अनेक कार्य किए हैं जो इन चिंताओं से संबंधित हैं। NDMA ने भूकंप के जोखिम को कम करने और भूकंप के कारण होने वाले प्रभाव, जान-माल की हानि और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए हैं:

1. भारत में भूकंप सुरक्षा आकलन प्रयासों को समेकित करने के लिए रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (RVS) पर प्राइमर तैयार किया गया।  
<https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Technical%20Documents/RVS-Doc-11-2020.pdf>
2. चयनित शहरों के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक में जम्मू और श्रीनगर शामिल हैं।  
[https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Reports/EDRI\\_Report\\_final.pdf](https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Reports/EDRI_Report_final.pdf)
3. "भूकंप और चक्रवात सुरक्षा के लिए गृह स्वामी की मार्गदर्शिका" जो भूकंप संभावित क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर के अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक है।
4. "कमजोर इमारतों और संरचनाओं की भूकंपीय रेट्रोफिटिंग के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश" जो जम्मू-कश्मीर के लिए प्रासंगिक हैं।  
<https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/retrofitting-guidelines.pdf>
5. भूकंप के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश:  
<https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/earthquakes.pdf>

\*\*\*\*\*